# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 46/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00231

उनवान

रामभजन पुत्र सामलिया जाति कुशवाह उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम बरईपुरा, तहसील सरमथुरा व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजाराम पुत्र सामलिया
2. संतो देवी पत्नी पत्तू सिंह
3. मुन्नी देवी पत्नी राजाराम

} जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम बरईपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2016 प्रकरण संख्या 04/2013 उनवान राजाराम बनाम रामभजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :–23.11.2021

यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अपने हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त हैं। परन्तु अब शामलात काश्त करने पर परेशानी उत्पन्न हो रही हैं एवं आये दिन फसल को लेकर झगडा होता रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 08.03.2016 को प्राथमिक डिक्री करते हुये विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2016 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सरमथुरा को नियुक्त किया गया था। तहसीलदार सरमथुरा का यह दायित्व था कि वह उभयपक्षो को

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

पूर्व सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षो की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते, परन्तु उनके द्वारा ना तो अपीलाण्ट को कोई सूचना दी गयी एवं ना ही मौके पर ही बुलाया गया एवं दिनांक 10.05.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान में ही अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में रैस्पो0 से साज करके न्याय आपके द्वार अभियान में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत कर दिये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्तावो को सही मानते हुये प्रकरण को अन्तिम तौर पर निस्तारित कर दिया, ना तो तहसीलदार एवं ना ही पटवारी हल्का ही मौके पर गये एवं ना ही अपीलाण्ट को उक्त विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का ही समय दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो नोटिस न्याय आपके द्वार के भेजे गये हैं उनमें तारीख पेशी दिनांक 05.10.2016 का उल्लेख है जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2016 को पारित हुआ है। इसके अलावा न्याय आपके द्वार में प्रकरणो का निस्तारण राजीनामा के आधार पर किया जाता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा ही नहीं हुआ। विभाजन के बाबत् जो नियम हैं उसमें स्पष्ट हैं कि पक्षकारो के कब्जे को प्रमुखता देनी चाहिये। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 102 पर पिताजी द्वारा किये गये बॅटवारे के अनुसार काबिज है तथा उसका विवादित आरजी खसरा नम्बर 102 पर वर्षो पुराना कब्जा है एवं बाग लगा हुआ है। परन्तु विभाजन प्रस्ताव बनाते समय इस तथ्य की अनदेखी की गयी है। चूंकि विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये हैं। अतः विवादित आराजी की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ सकी। अपीलांट को जो खसरा नम्बर 286 दिया गया है जो मौके पर डंगरिया है तथा काश्त के काबिल ही नहीं है। इसके अलावा रैस्पो0 को सिंचित भूमि, उनके हिस्से से अधिक दी गयी है तथा अपीलाण्ट को कम दी गयी है, जो विधि विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुद्रांक शुल्क जमा कराये बिना ही डिक्री पारित कर दी जो कि विधिक प्रावधान के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे(24) 2017 पेज 299, आरआरटी 2020(2) पेज 838, 2019(2) पेज 1547, 2021(1) पेज 469 एवं 533 का उद्धरण पेश किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अपीलाण्ट अपने कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर 102 को चाहते हैं। यदि खसरा नम्बर 102 अपीलाण्ट को बाहमी विभाजन में प्राप्त हुया है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में साबित करना था। मौके पर कोई मनवट नहीं हो रहा है। इसके अलावा न्याय आपके द्वार में सभी पक्षकारो को सूचना दी जाती है एवं तभी निर्णय पारित किया जाता है। तहसीलदार नें विभाजन प्रस्ताव सही बनाये हैं एवं आदेशिका में सभी पक्षकारो की उपस्थिति का उल्लेख अंकित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट की प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति है कि खसरा नम्बर 102 अपीलाण्ट को बाहमी विभाजन में प्राप्त हुआ था जो रैस्पो0 को दे दिया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जिन्हें तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। हमने विभाजन प्रस्तावो का गहनता से अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसा भी नहीं है कि उक्त विभाजन प्रस्तावो को पटवारी अथवा गिरदावर द्वारा तहसीलदार को पृष्ठाकिंत किये गये हों। अतः तहसीलदार का मौका पर होना एवं उनके द्वारा ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करना प्रमाणित होता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में लगान फलावट एवं संलग्न नजरी नक्शा जो उपविभाजित भूमि अनुसार विभिन्न रंगो में दर्शाया हुआ है, से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के तैयार किये गये हैं, जो विधीवत हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति कि खसरा नम्बर 102 उनको बाहमी विभाजन में प्राप्त हुआ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-जोधपुर

था, का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त आपत्ति प्राथमिक डिक्री में उठानी चाहिये थी, एवं उक्त कथित बाहमी विभाजन को अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध करना था, जो नहीं किया गया है। अतः अन्तिम डिक्री की अपील में उक्त आपत्ति ग्राह्य नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप योग्य गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के तैयार किये गये हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-11-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
**प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–46/2016 (223 आर.टी.एक्ट.)**

1. रामभजन पुत्र सामलिया जाति कुशवाह उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम बरईपुरा,तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

**बनाम**

1. राजाराम पुत्र सामलिया
2. संतोदेवी पत्नी पत्तूसिंह
3. मुन्नीदेवी पत्नी राजाराम

} जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम बरईपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा।

..... रेस्पोडेंट।

**अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रारमथुरा दिनांक 10.05.2016 प्रकरण संख्या 04/2013 उनवान राजाराम बनाम रामभजन।**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री राजेन्द्रसिंह राणा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री निशांत भार्गव मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....23.....माह.....11.....सन्.....2021.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।